न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/17 **दायरा दिनांक : 16.01.2023**

उनवान

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड अन्ता, जिला बारां जर्ये महाप्रबन्धक अन्ता गैस पावर स्टेशन एन.टी.पी.सी. लिमिटेड अन्ता

.... अपीलांट

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता, दायी मुख्य नहर खण्ड द्वितीय सी.ए.डी. चम्बल, अन्ता, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, बारां

.... रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र
जनमांग वसूली अधिनियम 1952

उपस्थित– श्री रमेश चन्द्र गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सी. पी. मीना पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.11.2025**

यहप्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के प्रकरण संख्या –01/2014 निर्णय दिनांक 02.12.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने एकप्रार्थना पत्र जनमांग वसूली अधिनियम 1952 पेश किया और यह कथन किया कि एन. टी.पी.सी. अन्ता को वास्तविक क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज के बिल बनाकर भुगतान हेतु भिजवाये गये लेकिन एन.टी.पी.सी.अन्ता द्वारा MOM वर्ष 1988 के अनुसार ही वाटर चार्जेज का भुगतान किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में महालेखाकार राजस्थान जयपुर के द्वारा भी ऑडिट आक्षेप लिया गया है कि विभाग को क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज एन.टी.पी.सी. अन्ता से लिया जाना चाहिए। एन.टी.पी.सी. अन्ता से अवधि 4/2000 से 4/2003 तक राशि 48515112/– व अवधि 6/2004 से 3/2010 तक राशि 15271127/– इस प्रकार कुल बकाया राशि 63786239/– वसूल की जानी है। वसूली हेतु विभाग द्वारा एन.टी.पी.सी. अन्ता को अनेक बार पत्र लिखे गये लेकिन प्रत्युत्तर में एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा MOM दिनांक 27.12.1988 के अनुसार बिलों की राशि का भुगतान लगातार नियमित रूप से किया जा रहा है। विभाग के निरन्तर प्रयासों के उपरान्त भी एन.टी.पी.सी. अन्ता द्वारा वाटर चार्जेज की कम भुगतान की गई राशि 6.38 करोड का भुगतान नहीं किया गया है। अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रकरण पेश है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर,बारां ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकारकिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है किअधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02/12/2022 से अपीलान्ट के विरूद्ध निम्न आदेश दिया है:–प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (NTPC) अन्ता से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम 1952 के तहत राशि 6,37,86,239/– रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किए जाने के आदेश पारित किये है।माननीय जिला कलक्टर बारां द्वारा दिया गया उक्त आदेश पत्रावली मे आये तथ्यों के विपरीत, सामान्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है।

रेस्पो० क्रम 1 ने जिला कलक्टर बारां के यहां फार्म नंबर 1 में Requisition for certificateको पेश किया जिसमें उन्होंने एनटीपीसी अन्ता सेwater charges राशि 6,37,86,239/– रूपये जो 4/2000 से 4/2003 एवं 6/2004 से 3/2010 अवधि की बकाया होना बताया है इस पर जिला कलक्टर बारां ने प्रपत्र सं० 2 धारा 4 के तहत प्रमाण पत्र दिनांक 4/6/2014 को 6,37,86,239/– रूपये अवधि 4/2000 से 4/2003 व 6/2004 से 3/2010 तक की बकाया वाटर चार्जेज वसूली योग्य राशि मानकर जारी किया तथा जिसका नोटिस दिनांक 5/6/2014 अपीलान्ट को भेजे जाने हेतु जारी किया है। अपीलान्ट को उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा धारा 8 पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत पेटीशन देकर नोटिस में अंकित राशि देय योग्य नहीं होना बताया। नोटिस में अंकित राशि के भुगतान का दायित्व एनटीपीसी अन्ता का नहीं है तथा यह राशि वसूली योग्य नहीं है। नोटिस को निरस्त करने के विस्तृत आधार एनटीपीसी अन्ता द्वारा प्रस्तुत पेटीशन में अंकित है।

एनटीपीसी अन्ता को दांयी मुख्य नहर की आर डी 270600 पर निर्मित इनटेक चेनल से पानी उपलब्ध कराया जाता है जो पानी विद्युत गृह के संयंत्रों को ठण्डा करता हुआ ओपन साईकिल से आउटफाल चैनल से होता हुआ वापस मुख्य नहर की आर डी 272896 पर मिल जाता है। नहर संचालन के दौरान इस विद्युत गृह द्वारा 250 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जाता है। नहर बन्दी के दौरान नहर क्लोजर से पूर्व भरे गये जलाशय से विद्युत गृह को पानी क्लोज साईकिल से उपयोग किया जाता है। जलाशय में भरे पानी को ही ठंडा कर वापस उसी पानी को संयंत्र ठण्डा करने में उपयोग किया जाता है।

दिनांक 27/12/1988 को राजस्थान सरकार व एनटीपीसी के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि नहर बन्द की अवधि एक वर्ष में एक माह होगी। इसके अनुसार नहर संबालन दौरान 11 माह तक 2.50 क्यूसेक व बारहवें माह में 12.50 क्यूसेक पानी को उपयोग में लिया जावेगा। उसी अनुसार एक वर्ष में 11 माह के 250 क्यूसेक दर से व एक माह नहर क्लोजर अवधि का 12.50 क्यूसेक दर से पानी के बिल एनटीपीसी को प्रेषित किये गये जिनका भुगतान एनटीपीसी अन्ता द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा है। उक्त दिनांक 27.12.1988 की बैठक में हुए एम.ओ.एम. की नकल पेश की गई है।

वर्षा कम होने व चम्बल के जलाशयों में कम पानी की आवक होने के कारण नहर संचालन अवधि घटती गई जिसकी वजह से पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा था इसलिए पुनः दिनांक 11/12/1992 को राजस्थान सरकार व एनटीपीसी के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिनिधियों के मध्य बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि एनटीपीसी की मांग पर पानी दिया जावेगा तथा नहर से पानी की सप्लायी न होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। No charges during the non supply of water will be levied अतः एक माह से अधिक की नहर बन्द अवधि का कोई भुगतान नहीं बनता है अर्थात जिस माह नहर बन्द रहेगी उसका भुगतान देने का एनटीपीसी का दायित्व नहीं होगा। इसी अनुरूप सिंचाई विभाग द्वारा एनटीपीसी को बिल दिये जाते रहे हैं तथा उनका भुगतान निरन्तर एनटीपीसी द्वारा किया गया है।

वर्ष 2010 में महालेखाकार टीम के निरीक्षण द्वारा एमओएम 27.12.1988 के अनुसार एक माह से अधिक बन्द अवधि में 12.50 क्यूसेक दर से पानी की राशि वर्ष 1997 तक एवं 15.50 क्यूसेक (वर्ष 1997 के बाद) की दर से वसूली निकाली। उन्होंने 1988 से 3/10 तक की नहर बन्द अवधि की राशि 6,37,86,239 रुपये वसूली योग्य निकाली जो गलत निकाली है।

महालेखाकार निरीक्षण दल की वसूली गणना में 1998 से जल प्रभार की गणना के लिए 15.50 क्यूसेक पानी का आधार माना है। यह दर एम.ओ.एम. 23.09.1997 के अनुसार स्टेज द्वितीय के चालू होने पर प्रभावी थी जबकि स्टेज II आज तक चालू नहीं हुई है। स्टेज –I ही वर्तमान तक चालू है। दिनांक 23.09.1997 के एम.ओ.एम. लागू नहीं होना माना जाना चाहिए तथा गणना 27.12.1988 व 11.12.1992 को दोनों पक्षों के मध्य हुए एम.ओ.एम. के अनुसार ही पानी का चार्ज लिया जाने योग्य होना माना जाना चाहिए।

सीएडी विभाग के अनुसार नहर बन्द की अवधि की बकाया राशि की गणना निम्न प्रकार की गई –

क्र. स.	अवधि	एमओएम सन्दर्भ सं0	नहर बन्द अवधि (माह में) कनोल क्लोजर माह	एमओएम के अनुसार कनोल क्लोजर माह	अतिरिक्त क्लोजर माह	क्नोल क्लोजर के लिए फलो. रेट (क्यूबिक फीट पर सकण्ड)	बकाया कुल राशि (रूपये)	फोर्मुला
1	1988–99 (10Year)	दिनांक 27.12. 1998	47.58	10.00 (1Month per year)	37.58	12.5	24757704	12.537.58.30.24.60.60.20 / 1000
2	1998–2003 (5Year)	दिनांक 23.09. 1997	39–75 (1212 Days)	325 Days (65 Days per year)	(887 Days) 29.08 Months	15.5	23757408	887.15.5X24X60X60X20/1000
	Sub total (A)						48515112	
3	6/2004–03/2010						15271127	
	Sub total (A)						15271127	
	TOTAL Claim (A+B)						6,37,86,239/–	

उक्त गणना के अनुसार वर्ष 1988 से 1998 तक 10 वर्ष की अवधि में 47.58 माह तक नहर बन्द रही। एम.ओ.एम. 27.12.1988 के अनुसार प्रतिवर्ष एक माह की 12.5 की दर से गणना होनी चाहिए, इस तरह 10 माह कम करने पर 37.58 माह इस अवधि के दौरान नहर पूर्णतः बन्द रही पानी नहीं दिया, इसलिए एम.ओ.एम. 11.12.1992 के तहत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, कोटा

इस अवधि का पानी चार्ज भुगतान योग्य नहीं होते हुए भी 37.58 माह का 12.50 की दर से 20 रूपये प्रति 1000 क्यूसेक दर से जोडकर 24757704 रूपये बकाया होना बता दिया जो गलत है। इसी प्रकार 1998 से 2003 तक 5 वर्ष की गणना एम.ओ.एम. 23.09.1997 से कर दी जबकि ।। स्टेज चालू नहीं होने से वह लागू नहीं थी। इस अवधि में स्वयं सी ए डी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार 39.75 माह अर्थात 1212 दिन नहर बन्द रही इसलिए प्रतिवर्ष एक माह कम 5 वर्ष तक कम करने पर केनाल क्लोज माह 325 दिन मानकर 887 दिन का चार्ज 15.50 की दर से 2,37,57.408 रूपये बकाया होना बताया है। इस तरह वर्ष 1988 से 2003 तक का बकाया 2,47,57,704 + 2,37,57,408 = 4,85.15,112 रूपये बनाई जो गलत बनाई है। इसी प्रकार वर्ष 6/2004 से 3/2010 की बकाया राशि 1,52,71,127 बताई जो भी गलत बताई है। इस तरह वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 3/2010 तक की कुल बकाया राशि 6,37,86,239 रूपये निकाली जो गलत निकाली है।

सी ए डी द्वारा गणना 1988 से 2010 तक की जब प्रभार डिमान्ड की गणना अधिक दर 20 रूपये प्रति 1000 क्यूसेक फिट के आधार पर की जबकि सरकार के अनुसार वर्ष 1988 से वर्ष 2010 तक पानी की रेट निम्न प्रकार रही –

(क) एम.ओ.एम. दिनांक 27.12.1988 से 1.00 रूपया प्रति 1000 क्यूबिक फीट का

(ख) एम.ओ.एम.दिनांक 11.02.1992 से 10 रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट

(ग) अधिसूचना दिनांक 26.12.1992 के अनुसार 20 रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट

सीएडी द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र में 20 रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट पानी का चार्ज लगाकर बकाया राशि जोड दी गई जो गलत जोडी गई है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत Requisition for a certificate esa period for which demand is due 4/2000 to 4/2003 & 6/2004 to 3/2010 का बताया है यही अवधि कलक्टर साहब द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिनांक 03.06.2014 में बताई गई जबकि महालेखाकार निरीक्षण दल द्वारा की वसूली गणना मे माह 6/2004 से 3/2010 तक की अवधि की बकाया राशि 15271127 ही बताई गई है इसलिए सी.ए.डी. द्वारा प्रस्तुत Requisition for a certificate बकाया राशि उक्त अवधि की 63786239 गलत अंकित की गई है तथा जिला कलेक्टर साहब द्वारा जारी सर्टिफिकेट में भी यह राशि गलत अंकित की है।

एनटीपीसी अन्ताद्वारा माननीय जिला कलक्टर के समक्ष बहस के समय नहर बन्द एनटीपीसी की प्रार्थना पर खोली गई नहर का स्टेटमेण्ट पेश किया गया था उस पर कलक्टर साहब ने कोई विचार नहीं किया। उस स्टेटमेण्ट के अनुसार एनटीपीसी की ओर वर्ष 2010 तक की 3153600 रूपये राशि बकाया निकलती है। इस राशि को एनटीपीसी अन्ता द्वारा बैंक क्रमांक 000495 दिनांक 17.07.2014 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अन्ता से सी.ए.डी को भुगतान कर दिया था तथा इस भुगतान को प्राप्त होने से सी.ए.डी. की अन्ता द्वारा इन्कार नहीं किया गया परन्तु कलक्टर साहब ने अपने आदेश में इस भुगतान के बाबत भी कुछ नहीं लिखा ना ही अपने आदेश में अंकित बकाया राशि में से इसे कम किया। एनटीपीसी ने Supplimentry subminission भी पेश किया था जिसमे भी उक्त राशि भुगतान करने का अंकन किया हुआ था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जिला कलक्टर बारां द्वारा उक्त बकाया राशि के बाबत उप–जिला कलक्टर अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी थी। उप–जिला कलक्टर साहब अन्ता ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला कलक्टर बारां के यहां पेश की परन्तु कलक्टर साहब द्वारा उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के बाबत भी अन्तिम निर्णय देते समय विचार नहीं किया। यह कि माननीय जिला कलक्टर,बारां ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि एनटीपीसी ने वर्ष 1989 से स्टेज (419 मेगावाट क्षमता की स्थापना की जिसका डिजाइन 11 माह के नहर संचालन एवं एक माह की नहर बन्द की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया डिजाइन के अनुसार एक माह तक प्लांट चलाने हेतु 10 लाख घन मीटर पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी की स्टोरेज के लिए 10 लाख घन मीटर की क्षमता का जलाशय बनाया गया जिसमे अधिकतम 12.50 क्यूसेक फीट पानी ही भरा जा सकता है। इससे अधिक पानी रखने की क्षमता ही नहीं है। इसलिए नहर बन्द के दौरान क्लोजर सिस्टम से साईकिल कर पानी का उपयोग किया गया। कलक्टर साहब द्वारा नहर बन्द के दौरान पानी नही लिया गया. माना जाना चाहिए था तथा नहर बन्द अवधि की माँग गलत की गई माना जाना चाहिए था। कलक्टर साहब द्वारा एम.ओ.एम. दिनांक 23.09. 1997 लागू नहीं होना मानना चाहिए था क्योंकि यह एम.ओ.एम. स्टेज II चालू होने पर ही लागू होता था इसलिए राशि की गणना 23.09.1997 के अनुसार गलत की गई, माना जाना चाहिए था।

जिला कलक्टर बारां द्वारा एनटीपीसी द्वारा नहर से जिस अवधि में पानी ही नहीं लिया उस अवधि की राशि भी देय होना गलत माना है। इसी तरह प्रभार डिमान्ड राशि की 20 रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट से सपूर्ण अवधि की गणना गलत किया जाना माना जाना चाहिए था। ऊपर अंकित दरें जो एम.ओ.एम. दिनांक 27.12.1988 व एम.ओ. एम. 11.02.1992 व अधिसूचना दिनांक 26.12.1992 में निर्धारित दर से किया जाना माना जाना चाहिए था। माननीय जिला कलक्टर साहब को अधिशाषी अभियन्ता दांयी मुख्य नहर अन्ता द्वारा प्रस्तुत Requisition for a certificate निरस्त करना चाहिए था।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय जिला कलक्टर बारां द्वारा जारी certificate of public demand बाबत 6,37,86,239 रूपये को निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर बारां द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 02.12.2022 को निरस्त किया जावे तथा 31,53,600/– रूपये जो एनटीपीसी द्वारा अदा किया गया है उसकी अदायगी मानी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। बहस में अंकित किया कि जिला कलेक्टर साहब बारां के निर्णय दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध यह अपील नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की ओर से पेश की है। जिसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता से 6,37,86,239/– रूपये व ब्याज 13% एवं 10% कलेक्शन चार्ज वसूलने के आदेश दिये हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1 यह कार्यवाही धारा 3 जनमांग वसूली अधिनियम के तहत वसूली हेतु अधिशाषी अभियन्ता C-A-D- चम्बल द्वितीय अंता द्वारा कलेक्टर साहब बारां को requisition for certificate पेश करने पर हुई जिसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता से 6,37,86,239/–रूपये माह 4/2000 से माह 4/2003 व माह 6/2004 से माह 3/2010 तक के water chargeमांगे गये।

2. मान्य कलेक्टर साहब ने दिनांक 03.06.2014 को धारा 4 के तहत वसूली प्रमाण पत्र मांग के अनुरूप जारी कर दिया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को नोटिस दिया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने नोटिस प्राप्त होने पर बारां 8 जनमांग वसूली अधिनियम के तहत अपनी आपत्तियां कलेक्टर साहब को अवधि मध्य दिनांक 09.07.2014 को पेश की जिसका कलेक्टर साहब की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 09.07.2014 है। Note– ये आपत्तियां कलेक्टर साहब की पत्रावली में पृथक से शामिल है।

3. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों में कलेक्टर साहब द्वारा जारी नोटिस गलत होना बताया। नोटिस में अंकित राशि वसूली योग्य नहीं होना बताया। विस्तृत विवेचन आगे किया जा रहा है।

4. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा दिनांक 22.03.2014 को C-A-D को देने के लिये 31,53,600/– रूपये का चेक नं0 OC0495 दिनांक 17.07.2014 को कलेक्टर साहब को पेश किया जिसे C-A-D ने प्राप्त कर लिया जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 22.03.2014 में है। Supplementary submissionभी पेश किया। C.A.D. अंता द्वारा बंद की अवधि 23.9.1997 को M-O-M के अनुसार एक माह से बढ़ाकर 65 दिन होना बताया तथा अतिरिक्त जलापूर्ति 15.50 क्यूसेक होना बताया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता का यह कथन रहा है कि M-O-M- 23.09.1997 पक्षकारों पर लागू नहीं होता क्योंकि यह अनुबंध नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की दोनों stage 1] stage IIचालू होने पर ही लागू होगा। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की stage IIआज तक चालू नहीं हुई। इस अनुबंध में दोनों पक्षों के उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृति होने की शर्त थी। इसे लागू करने के लिये नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता के अधिकारियों की स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि दूसरी stage चालू नहीं हुई व राज० सरकार द्वारा भी स्वीकृति नहीं दी।

5. दोनों पक्षों के अधिकारियों के मध्य दिनांक 27 12.1988 व दिनांक 11.02.1992 को मीटिंग हुई जिनके Memorandum of Meeting लिखे गये जिन्हें M.O.M. 27.12.1988 व M-O-M- 11.02.1992 पुकारा गया।

6. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता को विद्युत सयंत्र के दो stages (stage 1, stage II) लगाने थे इसलिये इन दोनों M-O-M में दोनों Stages के बाबत प्रावधान है। परन्तु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता दूसरी stage चालू नहीं कर पाई। आजतक सिर्फ प्रथम stage में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अता का विद्युत उत्पादन हो रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7. M-O-M- 27.12.1988 जो दोनों पक्षों का स्वीकृत दस्तावेज है के अनुसार stage Iमें नहर संचालन के दौरान 10 माह के लिये 2.50 क्यूसेक पानी व 11 माह में 12.50 प्लस 2.5 क्यूसेक पानी व 12वे माह में जब नहर बंद रही नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता नहर से पानी नहीं लेगी तथा जल प्रभार वसूली राशि water charge 1.00 (एक रूपया) प्रति 1000 क्यूबिक फीट (CF) के आधार पर C-A-D- अंता को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता देगी।

8. नहर वर्ष में एक बार एक माह के लिये बन्द रहेगी इसलिये बारहवे माह के लिये 11वे महीने 12.50 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के दर से इकट्ठा पानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को दिया जाएगा। नहर संचालन के दौरान विद्युत गृह द्वारा 2. 50 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जावेगा। जो भी अधिक पानी आवेगा उसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता नहर वापस छोड़ देगी। परन्तु बारहवे माह में नहर बंद रहने पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता अपने सयंत्रों को चलाने के लिये जो 12.50 क्यूसेक पानी रिजर्वायर में लेगी उसी पानी को ठंडा कर close cycle system से बार बार उपयोग में लेगीजो 11वे माह में ही इकट्ठा कर लिया था। परन्तु उसके बाद भी लगातार वर्षा कम होने व चम्बल के जलाशये में कम पानी की आवक के कारण नहर संचालन अवधि घटती गई व C-A-D- अंता द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अता को जल उपलब्ध कराना नहर बंद रहने के दौरान असम्भव हो गया तब दोनों पक्षों के अधिकारियों की मीटिंग दिनांक 11.12.1992 को हुई। जिसका M-O-M- दिनांक 11.12.1992 है। जिसके अनुसार दोनों पक्षों में यह तय हुआ कि नहर से पानी की सप्लाई नहीं होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं है। No charges during the non&supply of water will be levied- अतः एक माह से अधिक की नहर बंद अवधि का कोई भुगतान C-A-D- अंता प्राप्त नहीं कर सकेगी।

9. इस M-O-M- में जल प्रभार डिमांड की गणना (water charge) की दर 10.00 (दस रूपये) प्रति क्यूबिक फीट (CFT) के आधार पर की जावेगी। बाद में अधिसूचना दिनांक 26. 12.1992 को C-A-D- द्वारा जारी की जिसके अनुसार जल प्रभार water charge 20.00 (बीस रूपये) प्रति क्यूबिक फीट लिया जावेगा। इस प्रकार जल प्रभार की गणना निम्न दर से किया जाना चाहिये।

दिनांक 27.12.1988 से 11.12.1992 तक 1/– रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट

दिनांक 11.12.1992 से 26.12.1992 तक 10/– रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट

दिनांक 26.12.1992 से 20/– रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट

10नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा उक्त दोनों M-O-M- में तय अनुसार C-A-D- अंता का भुगतान किया। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा यदि किसी माह अतिरिक्त नहर खुलवाकर पानी लिया उसका भी भुगतान M-O-M- 1988 के निर्धारित पानी की मात्रा अनुसार किया गया। C-A-D- अंता द्वारा भी दिनांक 20. 05.2014 को कलेक्टर साहब को प्रेषित आवेदन में यह स्वीकार किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा M-O-M- वर्ष 1988 के अनुसार ही वाटर चार्जेज का भुगतान किया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

11. अंकेक्षण रिर्पोट आने से पहले पक्षकारान में वाटर की मात्रा की गणना व दर बाबत कोई विवाद नहीं था। परन्तु C-A-D- अंता का अंकेक्षण वरिष्ठ लेखा परिक्षाधिकारी पी. डब्ल्यू. आई. दल सं. 10 केम्प अंता द्वारा किया गया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 30.04.2012 को C-A-D- अंता को प्राप्त होने के बाद उत्पन्न हुआ।

अंकेक्षण रिर्पोट हस्तलिखित व शिड्यूल टाइप है जिसके मुख्य तथ्य निम्न है :–

क. सं.	अवधि	M.O.M. दिनांक	कुल नहर बन्दी गेज रजिस्टर अनुसार	M.O.M. के अनुसार प्रस्तावित नहरबंदी	शुद्ध बंद अवधि	अतिरिक्त जला पूर्ति	जलापूर्ति की मात्रा	दर
1	1988 से 1998	27.12. 1988	47.58 माह	1 माह प्रतिवर्ष = 10 माह	37.58 माह	12.50	24757704 (37.68X30. 50X24X60X6 0X12. 50X20 / 100 0	20 / – रूपये प्रति 1000 क्यूसेक राशि 2,47,57,704 / –
2	1998 से 2003	23.09. 1997	39.75 माह	60 दिन प्रतिवर्ष =325 दिन	887 (1212–325 =887) दिन	15.5 क्यूसेक	23767408 (887X24X60 X 60X15. 5X20 / 1000	20 / – रूपये प्रति 1000 क्यूसेक राशि 2,47,57,704 / –

योग राशि 4,85,15,112

माह 6 / 2004 से 3 / 2010 तक की राशि 1,52,71,127

6,37,86,239 / –

12 उक्त रिपोर्ट से निम्न तथ्य प्रकट होते हैं, अंकेक्षक की रिपोर्ट व CA-D- अंता की मांग निम्न आधार पर गलत है–

1 वर्ष 1988–98 के मध्य की राशि M-O-M- 27 12.1988 के अनुसार जोडी जिससे कुल 47.58 माह 10 वर्ष में नहर बदी रही। M-O-M- 27 12 1988 के अनुसार 1 माह नहर बन्द रखने का प्रावधान था इसलिये 10 माह कम करने पर 37.58 माह नहर बंद रखना माना। इस अवधि की 12.50 क्यूबिक फीट पानी का उपयोग से गणना की परन्तु गणना में 20 / – रूपये प्रति 1000 क्यूसेक से राशि जोड़ी गई जबकि इस अवधि में M-O-M-27.12. 1988 के अनुसार 1 / – रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट से पानी का चार्ज लिया जाना चाहिये। इस तरह इस अवधि में 19 / – रूपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट से ज्यादा जोड़ा है, जो गलत जोड़ा है।

2. वर्ष 1998 से 2003 तक की पानी उपयोग मात्रा M-O-M- 23.09.1997 के अनुसार की जो गलत की। जबकि M-O-M- 1988 के अनुसार पानी लेने के लिये गणना की जानी चाहिये थी। M-O-M- 23.09.1997 के आधार पर गणना गलत की। क्योंकि M-O-M 1997 stage IIआने पर लागू होता और स्टेज 2 आज तक नहीं आया है।

3. वर्ष 6 / 2004 से 3 / 2010 के मध्य की गणना भी M-O-M- 23.09.1997 के अनुसार की जबकि M-O-M- 1988 के अनुसार की जानी चाहिये थी। इस राशि को नहर बंदी अवधि में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

65 दिन प्रतिवर्ष नहर बंदी मानकर 15.5 क्यूसेक पानी का उपयोग करना मानकर गणना की गई, जो गलत की गई।

यह स्वीकृत तथ्य है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता के पास वर्ष 2011 तक केवल 1 पानी का रिजर्वायर था जिसकी अधिकतम पानी भराय क्षमता 10 लाख क्यूबिक मीटर = 12.50 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड x 30 day पानी की थी। फिर उसमें 15.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (in 30 days) पानी कैसे भरा जा सकता है। यह प्रकरण वर्ष 1988 से मार्च 2010 तक का है जब दूसरा टेंक था ही नहीं। इसलिये 15.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (in 30 days) पानी लेना गलत माना, 15.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी उसमें भरा ही नहीं जा सकता। दूसरा रिजर्वायर तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने 2011 में बनाया है।

Admission by C-A-D- अंता द्वारा अपने जवाब में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा मान्य जिला कलेक्टर साहब द्वारा जारी नोटिस आपत्तिया दिनांक 09.07.2014 को पेश की उसका जवाब CAD- अंता द्वारा दिनांक 11.07.2015 को दिया गया इस जवाब में C-A-D अंता द्वारा आपत्तियों की मद क्रमांक 1(i) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xx) (xxii) (xxiv) को स्वीकार किया है।

मद 1 (i) में CAD- अंता ने यह माना कि राजस्थान सरकारके प्रार्थना पत्र पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ने अंता ने में प्लांट लगाया।

1. मद 1(4) में C-A-D- अन्ता ने यह माना कि वर्ष 1991–92 से लेकर वर्ष 2013–14 तक नहर केवल वर्ष में एक माह बंद नहीं रहीं वरन ज्यादा अवधि के लिये बंद रही इस मद में अंकित शिड्यूल के अनुसार वर्ष 1991–92 से 4 माह प्रतिवर्ष से लेकर 9.65 माह तक वर्ष 2009–2010 के मध्य नहर बंद रहीं। पानी चार्ज उसी माह का लिया जाना चाहिये जिस माह नहर खोली गई।

मद 1(xi) में यह माना कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने C-A-D- अता को हर प्रकार से अतिरिक्त खर्च कर सहयोग दिया।

मद 1(xii) में C-A-D- ने माना कि दिनांक 27.12.1988 के MOM के अनुसार बिल दिये जाने चाहिये। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने 10 माह के लिये 2.50 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी का उपयोग किया व 11 माह में 12.50 प्लस 2.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी का उपयोग किया। 12वे माह में जब नहर बंद रही नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को पानी नहीं दिया गया।

इस मद को स्वीकार करने का अर्थ है कि CAD- अता ने M-O-M-1988 में अंकित सभी तथ्यों को माना।

मद 1(xiii) में अकित तथ्य कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता के पास केवल रिजर्यावर है जिसमें 10 लाख क्यूबिक मीटर पानी आ सकता है। अर्थात 12.50 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी को stock करने की क्षमता का रिजर्वायर है। इस स्वीकृति के बाद यह कथन कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को 15.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी दिया गया गलत है क्योंकि एक महीने में 12.5 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी से अधिक पानी भरने का रिजर्वायर ही नहीं था।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मद (xx) में अंकित तथ्य कि पानी का चार्ज M-O-M- 27.12.1988 के अनुसार दिया जावेगा तथा इसको M-O-M- 11.02.1992 से स्पष्ट किया गया। इस मद को स्वीकार करने के बाद CA-D- अता ने यह स्वीकार कर लिया कि जिस माह में पानी दिया जावेगा उसी का भुगतान किया जायेगा। M-OM 11.02.1992 को भी C.A.D. अंता ने स्वीकार कर लिया। No water charges

मद (xxii) में यह तथ्य अंकित है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता व CAD अता के मध्य agreement लिखा जावेगा। CA-D- अता ने जवाब में इस मद को स्वीकार किया परन्तु आज तक लिखित agreement निष्पादित नहीं हुआ।

3 यह कि C-A-D- अंता द्वारा उपरोक्त स्वीकृतियां अपने जवाब में करने से यह स्वीकृत तथ्य है कि पानी supplyका charge M-OM- 1988 MOM 1992 में अंकित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। जिस माह नहर पूर्ण रूप से बंद रही उस माह का पानी का charge CAD अंता पाने की अधिकारी नहीं है। जो दरें दोनों M-O-M- में तय की व जो पानी सप्लाई की मात्रा इन MOM में तय हुई उसी के अनुसार भुगतान C-A-D- पाने की हकदार है। जिस माह पानी नहीं दिया उस माह कावater charge CAD- अंता पाने की अधिकारी नहीं है। अंकेक्षक ने अपनी रिपोर्ट M-O-M. दिनांक 23.09 1997 को आधार बनाकर जो राशि की गणना की वह गलत की है। उसके अनुसार भुगतान CAD- अता पाने की हकदार नहीं है। M-O-M- 1997 निम्न आधारों पर लागू नहीं होता है–

M.O.M. 1997 NTPC की दोनों stage चालू होने पर होने पर लागू होना तय किया गया था। केवल । stageचालू रहने पर लागू नहीं होती है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता में IIstage आज तक भी चालू नहीं हुई है। I stageमें ही प्लांट चल रहा है।

M-O-M- 1997 में प्रथम पृष्ठ पर last paraव page no-2 के ऊपर अंकित तथ्य निम्न है :–Recently the stage II has been revised from 430 MW to 650 MW and in view of environment regulation regarding temperature will be in cooling water] the stage II of the project is now proposed to be operated on close cycle system with cooling water- Also, since there is demand from side of irrigation wing of CAD- Chambal that canal closer period should be extended to 65 days and accordingly-------

इस M-O-M- में यह तय हुआ कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की II stage चालू होगी तब cancel closure periodमें दोनों stagesके लिये 31 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी की आवश्यकता होगी तथा नहरबंदी 65 दिन रहेगी। चूंकि II stageचालू नहीं हुई इसलिये M-O-M 1997 लागू नहीं हुआ। इसके अलावा इस M-O-M- के page no- 2 para3 पर भी यह तय हुआ है।

Meanwhile N.T.P.C. will obtain necessary clearance from their sanctioning authority for paying execution of these works and also confirm that other conditions of CAD- Chambal would be met- If interrogation department has no reservation and if N.T.P.C. confirm their agreement to conditions being set forth by ADC Kota (Additional Development

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Commissioner) then government would consider issuing clearance letter regarding water availability

इस शर्त से यह स्पष्ट है कि M-O-M- 1997 तब लागू होगा जब NTPC के उच्च अधिकारी clearance दे देंगे, तब सरकार पानी उपलब्धता के बाबत clearance letterजारी करेगी।

14 चूंकि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने II stageचालू नहीं की उसके उच्च अधिकारियों ने इस M-O-M- 1997 की शर्तों को स्वीकृत नहीं किया व राज्य सरकार द्वारा पानी की उपलब्धता बाबत clearance certificate भी जारी नहीं किया। इसलिये M-O-M 1997 लागू नहीं हुआ। इसलिये अंकेक्षक द्वारा दी रिपोर्ट में MOM 1997 लागू होना मानकर रिकवरी डिमाण्ड गलत निकाली है। विशेष रूप से 2010 तक जब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता के पास 1250 क्यूसेक से अधिक पानी भरने का रिजर्वायर नहीं था। दूसरा रिजर्वायर 2011 में बना है। विवाद 2010 तक का ही है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर साहब का certificate इस बाबत निरस्त होने योग्य है।

15. यह कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा मान्य जिला कलेक्टर साहब के समक्ष पानी के उपयोग की शिड्यूल पेश की है जिसमें कब कब नहर बंद रही कब नहर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की प्रार्थना पर खोली गई व कितना पानी का उपयोग व कितना चार्ज बना व CAD- कितना मांग रही है का पूर्ण विवरण दिया है। इस शिड्यूल को कलेक्टर साहब ने देखा भी नहीं है।

16. यह कि कलेक्टर साहब ने यह गलत माना कि N-T-P-C अंता ने अंकेक्षक की रिपोर्ट को challenge नहीं किया। क्योंकि अक्षक ने रिपोर्ट करने से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को कोई सूचना नहीं दी, आपत्तिया नहीं मांगी। अंकेक्षक की रिपोर्ट C-A-D- अता व राज० सरकार का अतरिम ऑडिट है इससे NT-P-C- अंता पाबन्द नहीं है। वैसे भी जो क्लेम राशि C-A-D- अंता ने अंकेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मांगी है उसको नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा अपनी आपत्तियों में पूर्ण रूप से challenge किया है।

17. यह कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता को जब जब पानी C.A.D. अन्ता द्वारा दिया गया उसका भुगतान पूर्ण रूप से C-A-D- अंता को किया गया है। केवल 31,53,600/– रूपये C-A-D- अंता के बनते थे, उस राशि को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने जर्ये चेक नं० 000495 न्यायालय में देकर अपने पूर्ण दायित्व का निर्वहन कर दिया है। अब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता की तरफ कोई राशि C-A-D- अता की बकाया नहीं है। परन्तु कलेक्टर साहब ने इस राशि का समायोजन करने का भी आदेश नहीं दिया है।

18. यह कि अधिशाषी अभियंता दाई नहर द्वितीय C-A-D- Chambal द्वारा कार्यवाही करने के लिये जो requisition for a certificateमय पत्र दिनांक 30–05–2014 कलेक्टर साहब को दिया उसमें period for which demand is dueकॉलम में 4/2000 से 2003 तक व 6/2004 से 3/2010 अवधि की बकाया राशि की मांग की है। कलेक्टर साहब ने भी जो सर्टीफिकेट दिनांक 03.06.2014 को जारी किया उसमें भी 4/2000 से 2003 व 6/2004 से 3/2010 की बकाया राशि 6,37,86.239/– रूपये होना माना व इसी का सटीफिकेट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

जारी किया। जब कि अंकेक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 1998 की बकाया राशि 2,47,57,704/–रूपये है तथा 1998 से 2003 तक राशि 2,37,57,408/– रूपये। C.A.D.अन्ता ने मांग ही 4/2000 के बाद की बकाया राशि की है। कलेक्टर साहब का सर्टिफिकेट भी 4/2000 के बाद की बकाया राशि के लिये जारी हुआ है। इसलिये अंकेक्षक की रिपोर्ट में अंकित 1988 से 1998 की राशि 2,47,57,704/– रूपये की जब C.A.D. अंता ने मांग ही नहीं किया कलेक्टर साहब द्वारा सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया तब यह राशि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता से वसूल नही की जानी चाहिये। इसी तरह वर्ष 1998 से वर्ष 3/2000 तक की भी कितनी राशि बनी उसकी गणना की जानी चाहिये। तथा अपील में यह भी माना जाना चाहिये कि यह राशि वसूली योग्य नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता से मांगी गई 6,37,86,239/– रूपये बाकी होना गलत बताया है। कोई राशि वसूली योग्य नहीं है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि कलेक्टर साहब का निर्णय निरस्त किया जावे तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता द्वारा प्रस्तुत बकाया राशि के हिसाब को माना जावे तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंताने जो 31,53,600/– रूपये का चैक न्यायालय के जर्ये C A D अन्ता को दिया है उसका समायोजन किया जावे। यदि न्यायालय चाहे तो पुनः M-O.M. 1988 व M-O-M- 1992 के अनुसार केवल उस पानी को चार्ज की गणना जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अंता ने नहर से लिया है, उसकी मात्रा व दर की गणना किसी स्वतंत्र एजेंसी से करा ले तथा M-O-M- 1997 लागू नहीं होना माना जावे। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा कलेक्टर साहब द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 03.06.2014 राशि 6,37,86,239/– रूपये को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि राज्य सरकार के द्वारा (एन.टी.पी.सी. की स्थापना के समय यह निर्णय लिया गया था कि दांई मुख्य नहर सी.ए.डी चम्बल अंता एन.टी.पी.सी. को पानी उपलब्ध करायेगा जिसके तहत राज्य सरकार व (एन.टी.पी.सी.) के मध्य दिनांक 27–12–1988 को मोम के तहत निर्णय लिया जाकर दिनांक 27–12–1988 से 25 वर्ष की अवधि के लिये एम.ओ.एम. की शर्तों के अनुसार जल उपयोगिता का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 27–12–1988 को आयोजित बैठक में राज्य सरकार की ओर से एम.एल. गोयल उर्जा सचिव, श्री सुरेश कुमार क्षेत्रीय विकास आयुक्त सी.ए.डी. कोटा श्री आर एम जैन अधीक्षण, अभियंता सी.ए.डी. कोटा श्री जे.पी. भाटी अधिशासी अभियंता एवं तकनीकी सहायक मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग कोटा ओ. पी. सक्सेना दांई मुख्य नहर चम्बल कोटा ने भाग लिया तथा (एन.टी.पी. सी.) की ओर से श्री बाला सुब्रामण्यम निदेशक (एन.टी.पी.सी.) दिल्ली व श्री वी.के. डांग मैनेजर (एन.टी.पी.सी.) कोटा एवं एन. के. भण्डारी डिप्टी मैनेजर(एन.टी.पी.सी.) अंता ने भाग लिया जिसमे (एन.टी. पी.सी.) (MOM). दिनांक 27–12–1988 के अनुसार नहर चालू अवधि 11 माह 2.5 क्यूसेक एवं फरवरी एक माह दौरान 2.5 क्यूसेक से जल का भुगतान होगा नहर बंदी के दौरान 12.50 क्यूसेक जल का भुगतान होगा 11 माह जल उपलब्ध रहेगा तथा एक माह नहरबंदी के दौरान मरम्मत कार्यों के लिये क्लोजर रहेगा, लेकिन समयानुसार बीते दिन कम वर्षा होने के कारण चम्बल जलाशयो मे पानी की आवक कम रहने पर भी सी.ए.डी. विभाग अंता (एन.टी.पी.सी.) को आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध करायेगा ओर सी.ए.डी. विभाग द्वारा (एन.टी.पी.सी.) को पानी पर्याप्त आपूर्ति के लिये बालाखेडा कोस रेगुलेटर पर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहरमे पानी को रोककर शेष रहे पानी को 15 दिन तक (एन.टी.पी.सी.) द्वारा उपयोग में लेने के लिये (स्टोरेज टेंक में जमाकर) रिजर्व रखा जिसका अतिरिक्त जल राजस्व का भुगतान नियमानुसार (एन.टी.पी.सी.) को किया जाना था जो नही किया गया और दिनांक 23–9–1997 को एम.ओ. एम. के अनुसार नहर बंदी की अवधि एक माह से बढाकर 65 दिन होना तय हुआ जिसके लिये दांई मुख्य नहर से 15.50 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना तय किया गया परन्तु वास्तव मे नहर दांई 65 दिन से अधिक अवधि तक खण्ड मे संधारित गेज रजिस्टर होने के कारण अतिरिक्त जलापूर्ति 15.50 क्यूसेक की दर से (एन. टी.पी.सी.) द्वारा भुगतान किया जाना था जो नही किया गया तथा महालेखाकर राज. जयपुर के द्वारा ऑडिट जो भारत सरकार की संवैधानिक संस्था जयपुर में स्थित है जिसके द्वारा राजस्थान के सभी विभागों की ऑडिट की जाती है इकरार अनुसार सी.ए.डी द्वारा एन.टी.पी. सी. को पानी की सप्लाई की गई। अंकेक्षण विभाग द्वारा ऑडिट की गई जिसमे वर्ष 4/2000 से 4/2003 तक की ऑडिट मे (एन.टी.पी.सी.)की तरफ बकाया वर्ष 1988 से 2003 तक वाटर चार्जेज की राशि सम्मिलितहै जो ऑडिट की पेरा अवधि है न की वाटर चार्ज की अवधि जिसमे ए.जी. द्वारा दुबारा ऑडिट करने पर अवधि 6/2004 से 3/2010 तक की (एन.टी.पी.सी.) के खाते की पुनः ऑडिट में राशि 152,71,127 बकाया निकाली गई तथा पुरानी अवधि को भी उसमे सम्मिलित किया गया जो अवधि 4/2000 से 4/2003 तक राशि 4,85,15,112 रूपया बकाया निकला इस प्रकार कुल 637,86,229 बकाया रहा जो वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2010 तक वाटर चार्जेज बकाया है जिसकी वसूली (एन.टी.पी.सी.) अंता से चाही गई तथा प्रकरण श्रीमान शासन सचिव के ध्यान मे लाया जाकर सुनवाई हेतु रिफण्ड की टिप्पणी की तथा (एन.टी.पी.सी.) के उच्चाधिकारियो पर भुगतान हेतु बार बार एवं अंतिम बार खण्डीय कार्यालय द्वारा अर्द्धशासकीय पत्रांक 9276 दिनांक 9–10–2012 द्वारा 63786229/– की बकाया राशि को जमा कराने हेतु निर्देशितकिया गया ओर पी.डी.आर के तहत राजस्व वसूली हेतु माननीय जिला कलेक्टर बारां के समक्ष प्रकरण संख्या 1/2014 प्रस्तुत किया जिसे माननीय जिला कलेक्टर बारां द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्रस्वीकार करते हुये अपीलांट नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन अंता को राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत 63786239 रूपये पर 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित राशि (एन.टी.पी.सी.) को जमा कराने जाने के आदेश पारित किये गये ।

1– यहकि महालेखाकार राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के लिये गये आक्षेप अनुसार दिये गये तथ्यो पर आधारित (एन.टी.पी.सी.) द्वारा किये गये भुगतान पर महालेखाकार द्वारा आक्षेप लिया कि विभाग को क्लोजर अवधि मे 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज (एन.टी.पी.सी.) अंता से लेना चाहिये ओर उनकी गणना के अनुसार अप्रेल 2000 से अप्रेल 2003 तक कुल 485,15,112 रूपये व अवधि 6/04 से 3/10 तक की राशि 15271127 रूपये इस प्रकार कुल 63786239 रूपये की वसूली एन.टी.पी.सी. अंता से चाही गई थी यदि (एन.टी.पी.सी.) अंता को ऑडिट आक्षेप पर आपत्ति थी तो (एन.टी.पी. सी.) अंता को ऑडिट आक्षेप पर अपीलय न्यायालय में याचिका या अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी ।

2–यहकि राज्य सरकार द्वारा (एन.टी.पी.सी.) की स्थापना के समय निर्णय लिया गया था कि दांई मुख्य नहर (एन.टी.पी.सी.) को पानी उपलब्ध करायेगा और नहर की आर.डी 27600 पर निर्मित इन्टेक चेनल से (एन.टी.पी.सी.) को पानी उपलब्ध कराया जाता रहा है जो विद्युत संयत्रो को ठण्डा करता हुआ ओपन साईकिल से आउट फाल चेनल से होता

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हुआ वापस दांई मुख्य नहर की आर डी 2728996 पर मिल जाता है यदि पानीकी आपूर्ति के अभाव मे कभी संयत्र बंद रहा हो तो उसकी सूचना व कम्पलेन्ट सिंचाई विभाग सी.ए. डी.को नही दी गई (एन.टी.पी.सी.) के पास संयत्र संचालन के लिये पानी का कोई अन्य श्रोत उपलब्ध नही है पानी के अभाव मे एन.टी.पी.सी संयत्र चलाया जाना संभव नही है।

3–यहकि रिजर्व वायर का निर्माण (एन.टी.पी.सी.) द्वारा प्लांट की आवश्यकतानुसार कराया जाना है जिसका (एन.टी.पी.सी.) संयत्र द्वारा उपयोग किये जा रहे तकनीकी मानको का सिंचाई विभाग व इन्जिरियरिंग विभाग से कोई सम्बन्ध नही है तथा एम.ओ.एम. मिटिंग की मिनिट्स वर्ष 1988 के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा यह तय किया गया था कि समय समय पर सरकार द्वारा पानी की दरे तय की जायेगी ओर उन्ही के अनुसार समय समय पर वाटर चार्जेज की दर निर्धारित होगी ।

4–यहकि जब जब (एन.टी.पी.सी.) द्वारा पानी की मांग की गई उनकी मांग अनुसार नहर में पानी प्रवाहित किया गया तथा (एन.टी.पी.सी.) के टैंक मे पानी का स्टोरेज करने के पश्चात बालाखेडा कास रेगुलेटर पर पानी को रोककर शेष रहे पानी को 15–30 दिन तक (एन.टी.पी.सी.) द्वारा उपयोग मे लिया जा रहा है अतः छोडे गये पानी के बिल भुगतान हेतु भिजवाये गये है तथा समय समय पर सरकार उसी के अनुरूप वाटर चार्जेज की दरे निर्धारित की गई पानी वितरित के बिल अधिकारियो द्वारा अनुशांसानुसार लिये गये निर्णयानुसार बिल पेश किये गये ।

5–महालेखाकर राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा ऑडिट आक्षेप में किया गया तथ्यो पर आधारित (खण्ड मे संधारित गेज रजिस्टर के अनुसार) बकाया भुगतान वसूली करने व ऑडिट आक्षेपो मे लिया गया विभाग को क्लोजर अवधि मे 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज एन.टी.पी.सी. अंता से लेना चाहिये इस प्रकार अपीलांट के विरूद्ध बकाया वसूली योग्य राषि 637,86239 रूप्ये की वसूली किया जाना न्यायोचित है तथा महालेखाकार ऑडिट में आक्षेप लिया गया वह तथ्यों पर आधारित था नहरबंदी को आधार (खण्ड मे संधारित गेज रजिस्टर को आधार मानकर बकाया भुगतान वसूली करने हेतु ऑडिट में आक्षेप लिया गया है विभाग को क्लोजर अवधि मे 12.5 क्यूसेक के अनुसार वाटर चार्जेज एन.टी.पी.सी. अंता से लेना चाहिये एम.ओ.एम. 1997 राज्य सरकार एवं एन.टी.पी.सी. मे किया एक समझोता है जिससे एन.टी.पी.सी. ने शर्तों पर सहमति जताई थी कई बैठको में यह अनुरोध किया गया है एन.टी.पी.सी. को इस मामले को सुलझाने के लिये अपने प्राधिकारियो को ए.जी. कार्यालय में केस कर अपना पक्ष रखे एन.टी.पी.सी. संयत्र द्वारा उपयोग किये जा रहे तकनीकी मानको ओर इंजिनियरिंग का विभाग से कोई सम्बन्ध नही है एन.टी.पी.सी. की मांग अनुसार नहर मे जल प्रवाहित किया गया जिसे 15–30 दिन तक एन.टी.पी.सी. द्वारा उपयोग मे लिया गया तथा वर्तमान मे एन.टी.पी.सी. एवं सरकार के दिये गये 17–10–2021 से लिखित एग्रीमेन्ट निष्पादित हो चुका है एम.ओ.एम. के अनुसार 1997 मे राज्य सरकार एवं एन.टी.पी.सी. के दिये एक समझोता हैजिसमे एन.टी. पी.सी. के द्वारा शर्तों पर सहमति जताई थी ओर कई बैठको मे यह भी अनुरोध किया गया कि एन.टी.पी.सी. ऑडिट आक्षेप के कई मामलो को सुलझाने के प्राधिकारियो के माध्यम से ए.जी. कार्यालय मे भेजकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे जिससे समस्या का निराकरण हो सके ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

6–यहकि एन.टी.पी.सी. अंता को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये यदि एन.टी.पी.सी. अंता को निरीक्षण दल द्वारा बनाये गये आक्षेपों से आपत्तियां थी तो ए. जी. कार्यालय में सम्पर्क कर मामले को सुलझाने के प्रयास करने चाहिये थे। ए.जी. कार्यालय भारत सरकार के अधीन एक उपक्रम है जो राजस्थान राज्य मे समस्त विभागो की ऑडिट करता हैतत्पश्चात जलापूर्ति से सम्बनिध में सी.ए.डी. विभाग एवं एन.टी.पी.सी. प्रबन्धक मण्डल के मध्य दिनांक 27–12–88 एवं 23–9–97 को मिटिंग का आयोजन किया गया जिसके प्रस्तावो को मिनिट्स ऑफ मिटिंग के रूप में लागू किया गया ।

7– यहकि एन.टी.पी.सी. के विरूद्ध (सी.ए.डी.) सिंचाई विभाग चम्बल अंता का 63786239/– रूपया बकाया चल रहा है जिस पर एन.टी.पी.सी. विभाग ने वर्ष 2010 में पूर्व की बकाया राशि के एवज में 31,53,600 रूपये का चेक दिया गया है इस प्रकार एन. टी.पी.सी. के विरूद्ध ऑडिट आक्षेप की बकाया राशि अवधि 4/2010 से 17–10–2021 समयोजन बकाया मे कर लियागया है जिस वित्तिय वर्ष में राशि प्राप्त हुई उसी वित्तिय वर्ष में समायोजन किया गया है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि नहर बंदी 65 दिन की अवधि से अधिक अवधि तक खण्ड मे संधारित गेज रजिस्टर होने के कारण अतिरिक्त जलापूर्ति 15.50 क्यूसेक की दर से उपभोक्ता एन.टी.पी.सी को भुगतान किया जाना था जो नहीं किया। अतः ऑडिट आक्षेप में बकाया निकाली राशि 63786239/– का भुगतान एन.टी.पी.सी अंता से करवाया जाना व 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित बकाया राशि जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये जावे ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता को क्लोजर अवधि में 12.5 क्यूसेक फिट के अनुसार पानी चार्जेज के बिल भुगतान वास्ते सी.ए.डी. विभाग द्वारा भिजवाये गये लेकिन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। महालेखाकार जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेप अनुसार सी.ए.डी. क्लोजर अवधि में भी 12.5 क्यूसेक फिट के अनुसार पानी चार्जेज लेना चाहिए। महालेखाकार, जयपुर द्वारा ऑडिट अवधि 4/2000 से 4/2003 तक 48515112/– व अवधि 6/2004 से 3/2010 तक राशि 15271127/– कुल 63786239/– वसूली आक्षेप निकाला गया।

दिनांक 01.08.1987 को राजस्थान सरकार की ओर से सी.ए.डी. अधिकारी व नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता के अधिकारियों के मध्य दायी मुख्य नहर के किलोमीटर 82.5 से औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुबन्ध तैयार हुआ जिसके अनुसार दायी मुख्य नहर से 340 क्यूसेक पानी लेगा तथा जल उपयोग प्लांट का कूलिंग व उर्जा अर्जन कर पुनः 320 क्यूसेक पानी नहर 83.5 किलोमीटर के पास वापस डाल देगा। इस प्रकार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता वर्ष में प्रत्येक माह 20 क्यूसेक पानी का उपभोग करेगा। ये उपभोग वर्ष में 10 माह तक करेगा। नहर बन्दी के समय 360 क्यूसेक पानी लेकर वापस 320 क्यूसेक पानी नहर में छोड देगा इस प्रकार 40 क्यूसेक पानी का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपभोग ग्यारहवे महीने में करेगा, जिसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता नहर बन्दी के समय सुरक्षित रखेगा।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता के पास संयत्र के संचालन के लिए पानी का अन्य कोई स्त्रोत नहर के अलावा नहीं है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता द्वारा नहर क्लोजर से पूर्व ही अपने परिसर में स्थित टैंकों में पानी का स्टोरेज कर लिया जाता है जिससे नहर क्लोजर के समय संयत्र का संचालन बाधित नहीं होता। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता के संयत्र नहर के पानी से ही अपनी स्थापना के वर्ष से ही संचालित हो रहा है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अन्ता द्वारा अपने संयत्र का संचालन सी.ए.डी. विभाग द्वारा नहर संचालन अवधि व क्लोजर अवधि में नहरी पानी से ही किया जाता रहा हैं। अतः हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बारां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा